

सिपेट/कोरबा/प्रशासनिक/एससी एवं एसटी कमेटी /
CIPET/KORBA/ADMIN/ SC & ST committee /

दिनांक: 03.05.2024
Date: 03.05.2024

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: सिपेट, कोरबा में एससी एवं एसटी कमेटी का गठन करने के संबंध में।
Subject: Constitution of SC & ST committee at CIPET, Korba- reg.

संदर्भ:- 1. एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक 2024-25 / AICTE Approval Process Handbook 2024-25
2. सिपेट/एच.ओ./एकेड/एआईसीटीई-कोम/2023-24/दिनांक25/07/23/CIPET-HO/Acad/AICTE-Comm./2023-24 Dated 25/07/23.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, की संख्या 33, दिनांक 11.09.1989 के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से संबन्धित अपराधों को रोकने के लिए, इन अपराधों के विचारण के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था करना व ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए व उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक मामलों के निवारण के लिए, सिपेट-कोरबा के निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है।

As per Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, No.33 of 1989, dated 11-09-1989, committee for SC and ST is being reconstituted comprising of following persons for CIPET, Korba to prevent commission of offences of atrocities against the members of Scheduled castes and Scheduled Tribes, to provide for special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected there with or incidental thereto:

कमेटी के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:-


The name of the Committee Members is given below: -

क्रमांक / S.N.	नाम /Name	पद /Designation	स्थिति/ Status	संपर्क विवरण/ Contact No.
1.	श्री राजीव कुमार लिहारे	प्रबंधक (तकनीकी)	अध्यक्ष	8984010720
2.	डॉ. दिवेश बी मेश्राम	तकनीकी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी (एलटीसी)	सदस्य	9422802207
3.	श्री विनीत सिंघल	वरिष्ठ अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	सदस्य	9045846045
4.	श्री जगमोहन बेहेरा	तकनीशियन ग्रेड I	सदस्य	9776215778
5.	श्री महेश कुमार टुडु	तकनीशियन ग्रेड III	सदस्य	7991075474

संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र, कर्मचारी सदस्य एवं उनके माता-पिता अब से उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाली किसी भी शिकायत के लिए समिति से संपर्क कर सकते हैं।

Concerned Scheduled Castes and Scheduled Tribes students and staff members and their parents may henceforth approach the committee for any complaint that comes under the purview of above act.


प्रधान निदेशक एवं प्रमुख /
Principal Director & Head



प्रतिलिपि :-

- सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त छात्र / All concerned official, staff and students
- सभी विभागाध्यक्ष / All Head of the Department.
- प्रशासनिक विभाग / Administration Department